



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-15082026-275488
CG-BR-E-15082026-275488

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4313]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4313]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

रेल मंत्रालय
(पूर्व मध्य रेल)
अधिसूचना

पटना, 11 अगस्त, 2026

का.आ. 4493(अ).— रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 2 के खण्ड 37A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा पूर्व मध्य रेलवे की “हाजीपुर—मुजफ्फरपुर सेक्शन के कुढ़नी—गोरौल स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 23B किमी. 28/13-14 की जगह रोड ओवर ब्रिज का निर्माण परियोजना” को विशेष रेलवे परियोजना घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। इसलिए पूर्व मध्य रेलवे की “हाजीपुर—मुजफ्फरपुर सेक्शन के कुढ़नी—गोरौल स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 23B किमी. 28/13-14 की जगह रोड ओवर ब्रिज का निर्माण परियोजना” को बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया जाता है।

[फा. सं. ECR/CAO/C/N/ROB/LC23B]

शैलेन्द्र प्रसाद, मुख्य प्रशा0 अधि0/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Patna, the 11th August, 2026

S.O. 4493(E) .— In Exercise of Power conferred by clause 37A of section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, General Manager/East Central Railway has approved to declare “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No.23B at KM 28/13-14 between Kurhani-Goraul stations of HJP-MFP section” as Special Railway Project. Therefore, “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No.23B at KM 28/13-14 between Kurhani-Goraul stations of HJP-MFP section of East Central Railway” is declared as **Special Railway Project** in the State of Bihar.

[F. No. ECR/CAO/C/N/ROB/LC23B]

SHAIENDRA PRASAD, CAO/Con